

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति अध्यारोपित शर्तों हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र./ 5-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022
अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन (टेबुलर फार्म में)

स.क्र.	अधिरोपित शर्तों का विवरण	आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन	वनमण्डलाधिकारी की टीप	रिमार्क
1	2	3	4	5
2.	Compensatory A forestation :-			
(b)	Compensatory Afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.8516 ha non-forest land khasra No. 136, Village- Bodaritola Tehsil- Majhoul District- Sidhi at the cost of the User Agency. Compensatory afforestation will be of a mix of local indigenous species and monoculture of species will be avoided. The C.A. will be maintained for 10 years.	आवेदक संस्थान को मान्य है।		
(c)	The Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department.	आवेदक संस्थान द्वारा खसरा क्र. 136 ग्राम-बोदारीटोला, तहसील-मझौली जिला-सीधी में कुल एकवा 2.8516 हे० कलेक्टर महोदय सीधी के राजस्व प्र.क्र. 0001/अ-19(3)/2018-19 आदेश दिनांक 21.12.2018 के द्वारा भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण करा दिया गया है। भूमि नामान्तरण का अभिलेख संलग्न है।		
3.	Cost of CA: (a)	आवेदक संस्थान को मान्य है।		
4.	Net Present Value (NPV) : (a)	आवेदक संस्थान द्वारा माग किये गये नेट प्रजेण्ट वेल्यू की राशि रु. 27,31,206/- एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण वनीकरण की राशि रु. 73,92,923/- कुल राशि रु. 1,01,24,129/- एडवाईज नं. 4103102009/062022-23/ई 0037 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा मध्यप्रदेश कैम्पा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोधी काम्पलेक्स ब्रांच नई दिल्ली में नेपट/आरटीजीएस द्वारा राशि जमा करा		

स.क्र.	अधिशोपित शर्तों का विवरण	आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन	वनमण्डलाधिकारी की टीप	रिमार्क
1	2	3	4	5
		दी गई है। प्रमाण पत्र संलग्न है एवं कार्यालयीन पत्र क्र. 1178/व.ले.लि./2022 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा जानकारी दी जा चुकी है, अवलोकन हेतु अभिलेख संलग्न है।		
5.	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e.portal.	आवेदक संस्थान द्वारा मांग किये गये राशि को ई-पोर्टल के माध्यम से CAMPA फंड में एडवाईज नम्बर 4103102009/062022-23/ई 0037 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा राशि रु. 1,01,24,129/- स्थानान्तरित की जा चुकी है।		
6.	The user agency shall submit the detailed CA scheme along with Survey of India toposheet map, geo-referenced map and KML file to this office before issuance of stage-II/Formal Approval.	आवेदक संस्थान द्वारा अभिलेख प्रस्तुत कर दिया गया है।		
7.	The State Government shall submit the Certified copy of tree enumeration with girth class wise detail from concerned DFO before issuance of Stage-II/ Formal Approval.	प्रभावित पेड़ों का गणना अभिलेख सम्मिलित है।		
8.	The User agency shall submit the Certified rehabilitation plan before issuance of Stage-II/Formal Approval.	योजना निर्माण अन्तर्गत विस्थापन नहीं हो रहा है।		
9.	The State Government shall upload the recommendation letter of DFO of this project on web portal before issuance of Stage-II/Formal Approval.	-		
30.	The compliance report shall be uploaded on e.portal (http://forestclearance.nic.in)	ई-पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।		


 (S.M. Tiwari)
 Executive Engineer
 Mahan Canal Division Sidhi
 Dist.-Sidhi (M.P.)

**बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022**

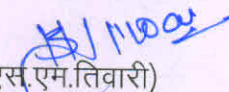
अध्यारोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन

स.क्र.	अधिरूपित शर्तों का विवरण	आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन
1	2	3
1.	The legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
2.	Compensatory A forestation :-	
(a)	Forest land shall be handed over to the User Agency only after the User Agency has got possession of non-forest land. if any, required for the project.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
(b)	Compensatory Afforestation shall be taken up by the forest Department over 2.8516 ha non-forest land khasra No. 136, Village- Bodaritoal Tehsil- Majhouli District- Sidhi at the cost of the User Agency. Compensatory afforestation will be of a mix of local indigenous species and monoculture of species will be avoided. The C.A. will be maintained for 10 years.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
(c)	The Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department.	आवेदक संस्थान द्वारा खसरा क्र. 136 ग्राम-बोदारीटोला, तहसील-मझौली जिला-सीधी में कुल रकबा 2.8516 हे० कलेक्टर महोदय सीधी के राजस्व प्र.क्र. 0001/अ-19(3)/2018-19 आदेश दिनांक 21.12.2018 के द्वारा भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण करा दिया गया है। भूमि नामान्तरण का अभिलेख संलग्न है।
(d)	The non- forest land shall be notified as Reserve/Protected forest.	—
3.	Cost of CA:	
(a)	The cost of Compensatory afforestation and its maintenance for 10 year shall be deposited in advance at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey demarcation erection of boundary pillars etc. on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the User Agency. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
(b)	Land identified for CA shall be clearly depicted on a Survey of India Toposheet of 1:50,000. The bearing of each corner point and distances between two successive points will be recorded along with the GPS readings of Geo coordinates (Latitudes & Longitudes).	आवेदक संस्थान द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए पहचान की गई भूमि को सर्वे ऑफ इण्डिया 1:50000 की टोपोशीट में जीपीएस रीडिंग के आधार पर चिह्नित करा दिया गया है। टोपोशीट संलग्न है।
4.	Net Present Value (NPV) :	
(a)	The State Government shall charge the "Net Present Value" (NPV) for the 2.8516 ha of forest land to be diverted under the proposal from the User Agency as per the order of Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (Civil) No.	आवेदक संस्थान द्वारा माग किये गये नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रु. 27,31,206/- एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण वनीकरण की राशि रु. 73,92,923/- कुल राशि रु. 1,01,24,129/- एडवाईज नं. 4103102009/062022-23/ई0037 दिनांक 17.06.

स.क्र.	अधिरोपित शर्तों का विवरण	आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन
1	2	3
	202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998- FC (Pt. II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006- PFC dated 03/10/2006 and 5-3/2006 and 5-3/2007- FC dated 05.02.2009 in this regards.	2022 के द्वारा मध्यप्रदेश कैम्पा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोधी काम्पलेक्स ब्रांच नई दिल्ली में नेफ्ट/आरटीजीएस द्वारा राशि जमा करा दी गई है। प्रमाण पत्र संलग्न है एवं कार्यालयीन पत्र क्र. 1178/व.ले.लि./2022 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा जानकारी दी जा चुकी है, अवलोकन हेतु अभिलेख संलग्न है।
(b)	Additional amount of the NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency , which shall furnish and undertaking to this effect.	भविष्य में मांग की गई अतिरिक्त राशि आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराई जायेगी। बचन पत्र संलग्न है।
5.	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e.portal.	आवेदक संस्थान द्वारा मांग किये गये राशि को ई-पोर्टल के माध्यम से CAMPA फंड में एडवाईज नम्बर 4103102009/062022-23/ई 0037 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा राशि रु. 1,01,24,129/- स्थानान्तरित की जा चुकी है।
6.	The user agency shall submit the detailed CA scheme along with Survey of India toposheet map, geo-referenced map and KML, file to this office before issuance of stage-II/formal Approval.	आवेदक संस्थान द्वारा अभिलेख प्रस्तुत कर दिया गया है।
7.	The State Government shall submit the Certified copy of tree enumeration with girth class wise detail from concerned DFO before issuance of Stage-II/ Formal Approval.	प्रभावित पेड़ों का गणना अभिलेख सम्मिलित है।
8.	The User agency shall submit the Certified rehabilitation plan before issuance of Stage-II/Formal Approval.	योजना निर्माण अन्तर्गत विस्थापन नहीं हो रहा है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
9.	The State Government shall upload the recommendation letter of DFO of this project on web portal before issuance of Stage-II/Formal Approval.	—
10.	Tank will be maintained by the User Agency in such a way that siltation is reduced to the possible extent. Desiltation of tank will be carried out regularly.	आवेदक संस्थान द्वारा जलाशय का रख-रखाव एवं नियमित रूप से निगरानी की जायेगी।
11.	Relevant directions contained in various notifications issued by the Government of India under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and Environment (Protection) Rules, 1986 made there under and as amended from time to time regarding use of fly ash shall be fully complied with.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
12.	Muck disposal, if required, should be taken up as per the scheme approved by the Forest Department.	आवेदक संस्थान द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
13.	Soil conservation measures, if required, should be taken up by the User Agency for which fund should be provided as per the current rate of works.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
14.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar	आवेदक संस्थान के द्वारा व्यपवर्तित वनभूमि की सीमा क्षेत्र आदि का सीमांकन चार फिट ऊँचे पिलर से किया जायेगा एवं शर्त अनुसार कार्य किया जावेगा।
15.	The User Agency will defray the cost of removal of	आवेदक संस्थान सहमत है तथा आवेदक

स.क्र.	अधिरोपित शर्तों का विवरण	आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन
1	2	3
	252 trees below FRL-4 Mtr. However, only the required and minimum number of trees will be felled. However no felling of trees shall be done above FRL-4 meter.	संस्थान पेड़ों को हटाने बावत् मांग अनुरूप लागत राशि को जमा करेगा।
16	No Additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials to be used for execution of the project work, Camps shall not be allowed in Forest Area.	आवेदक संस्थान सहमत है।
17	Proposed labour camps outside the forest area are to be dismantled and removed and the labourers shall be sent back immediately after the completion of the work.	वन क्षेत्र में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने बावत् आवेदक संस्थान बचनबद्ध है, बचन पत्र संलग्न है।
18	No damage shall be caused to the flora and fauna.	योजना के आस-पास जीवों तथा वनस्पति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी, बचन पत्र संलग्न है।
19	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna whose nesting tree are to be cleared in this project Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	योजना में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। बचन पत्र संलग्न है।
21	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of the Government of India	वन भूमि को आवेदक संस्थान द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था/ विभाग या व्यक्ति को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी। बचन पत्र संलग्न है।
22	The User Agency shall provide fuel preferably alternate fuel to the staff and labourers working at the site to avoid damage/felling of trees and pressure on the forest areas.	आवेदक संस्थान के द्वारा परियोजना स्थल पर कार्यरत श्रमिकों के वैकल्पिक ईंधन (रसाई गैस) की भुगतान किया जाता है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
23	User Agency shall take efforts to raise plantation on the periphery of tank where ever possible.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
24	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of User Agency or the project life whichever is less.	आवेदक संस्थान को मान्य है।
25	The User Agency shall submit six-monthly compliance report as on 1 st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State.	शर्तों का वास्तविक पालन प्रतिवेदन राज्य शासन एवं क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत किया जावेगा। बचन पत्र संलग्न है।
26	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31 st December of every year.	शर्तों का वास्तविक पालन प्रतिवेदन राज्य सरकार को नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा। बचन पत्र संलग्न है।
27	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Government of India.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना के ले-आउट प्लान में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।

स.क्र.	अधिरोपित शर्तों का विवरण	आवेदक संस्थान का पालन प्रतिवेदन
1	2	3
28	Statutory provisions under various Acts, rules made there under and guidelines applicable to this project shall be strictly adhered to.	परियोजना के संबंध में तत्समय लागू समस्त अधिनियम दिशा- निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा। बचन - पत्र संलग्न है।
29	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Charge may stipulate from time to time in the interest of conservation and development of forest & wildlife.	भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास हेतु समय-समय पर अधिरोपित की जाती है, आवेदक संस्थान द्वारा उसका पालन किया जावेगा। बचन पत्र संलग्न है।
30	The compliance report shall be uploaded on e.portal (http://forestsclearance.nic.in.)	ई-पोर्टल में अपलोड करा दिया गया है।

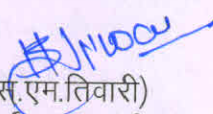

 (एस.एम.तिवारी)
 कार्यपालन यंत्री
 महान नहर संभाग सीधी
 जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र
क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-1

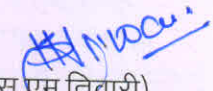
बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में व्यपवर्तित वन भूमि का
स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जायेगा।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

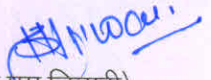
बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले मांग किये गये नेट प्रोजेक्ट वेल्यू एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण वनीकरण की कुल राशि रुपये 1,01,24,129.00 लाख भुगतान किया जा चुका है।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से विस्थापन नहीं हो रहा है।



(एस.एम.तिवारी)

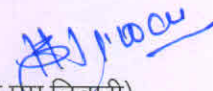
कार्यपालन यंत्री

महान नहर संभाग सीधी

जिला-सीधी (म.प्र.)

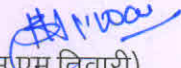
बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित व्यपवर्तित वन भूमि क्षेत्र में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करेंगे।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

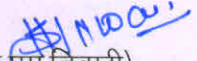
बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण के आस-पास के जीवों तथा वनस्पति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

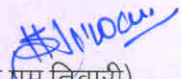
बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

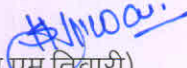
बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में व्यपवर्तित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

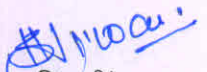
बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों के वैकल्पिक ईंधन (रसोई गैस) का भुगतान समय-समय पर किया जाता है।


(एस.एम.त्रिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में व्यपवर्तित वन भूमि का शर्तो के अनुसार वास्तविक पालन प्रतिवेदन राज्य शासन एवं क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।


(एस.एम. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में व्यपवर्तित वन भूमि का शर्तो के अनुसार वास्तविक पालन प्रतिवेदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय को नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।


(एस.एम.त्रिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में ले-आउट प्लान में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।



(एस.एम.तिवारी)

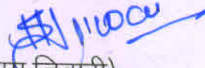
कार्यपालन यंत्री

महान नहर संभाग सीधी

जिला-सीधी (म.प्र.)

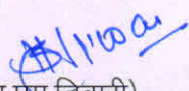
बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में तत्समय लागू समस्त अधिनियम विनियमों दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बचन—पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में कोई भी अन्य शर्त जो केन्द्र सरकार द्वारा वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास हेतु समय-समय पर अधिरोपित की जाती है उसका पालन किया जावेगा।

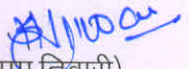

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला—सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-1

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में व्यपवर्तित वन भूमि का
स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जायेगा।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-2 A

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि की
शर्त क्रमांक 2A आवेदक संस्थान को मान्य है।

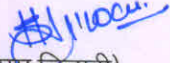

(एस.एस. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-2 B

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि की
शर्त क्रमांक 2B आवेदक संस्थान को मान्य है।

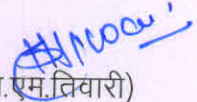

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-2C

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के
बदले आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गई भूमि का नामान्तरण करा दिया गया है।

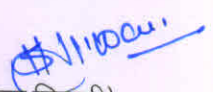

(एस.एम.त्रिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-2D

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि की
शर्त क्रमांक 2D आवश्यक नहीं है।

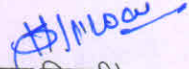

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-3A

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि की
शर्त क्रमांक 3A आवेदक संस्थान को मान्य है।

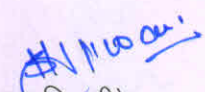

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-3B

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि की
शर्त क्रमांक 3B के अनुसार टोपोशीट 1:50000 में जीपीएस रीडिंग के आधार पर
चिन्हांकित करा दिया गया है।

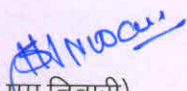

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-4A

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण)के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के
बदले मांग किये गये नेट प्रोजेक्ट वेल्यू राशि रु. 2731206/- एवं वैकल्पिक
वृक्षारोपण वनीकरण की राशि रु. 7392923/- इस प्रकार कुल राशि रुपये
10124129/- लाख भुगतान किया जा चुका है।

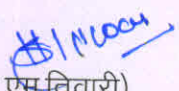

(एस.एम.खिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-4B

बचन-पत्र

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मजदूरी दर में परिवर्तन होने पर पुनरीक्षित योजना
अनुसार अन्तर की देय राशि का भुगतान आवेदक संस्थान द्वारा किया जायेगा।

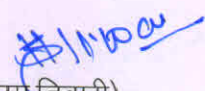

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-5

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के
बदले मांग किये गये नेट प्रोजेक्ट वेल्यू राशि को ई-पोर्टल के माध्यम से CAMPA
फंड में एडवाईज नं. 4103102009/062022-23/ई 0037 दिनांक 17.06.2022 के
द्वारा राशि रु. 10124129/- स्थानान्तरित की जा चुकी है।

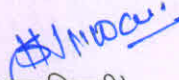

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-6

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि की
शर्त क्रमांक 6 के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा अभिलेख प्रस्तुत कर दिया गया
है।

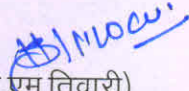

(एस.एम. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-7

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से प्रभावित वन भूमि की
शर्त क्रमांक 7 के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा अभिलेख प्रस्तुत कर दिया गया
है।

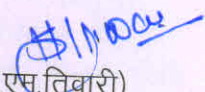

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-8

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण से विस्थापन नहीं हो रहा है।

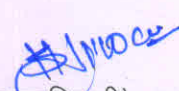

(एस.एस.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-9

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान द्वारा शर्त क्रमांक-9 मान्य है।

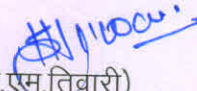

(एस.एम. त्रिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-10

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान द्वारा समय-समय पर योजना की निगरानी की जायेगी।

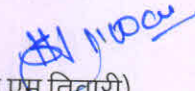

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-11

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान द्वारा शर्त क्रमांक-11 मान्य है।

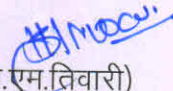

(एस.एस.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-12

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-13

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान द्वारा शर्त क्रमांक-13 मान्य है।


(एस.एम. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-14

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान के द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि की सीमा क्षेत्र आदि का
सीमांकन 4 फिट ऊँचे पिलर से किया जायेगा एवं शर्त अनुसार कार्य किया जायेगा।

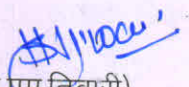

(एस.एम.लिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-15

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान द्वारा पेड़ों को हटाने बावत् मांग अनुरूप राशि को जमा
करेगा।

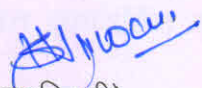

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-16

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान शर्त क्रमांक 16 से सहमत है।

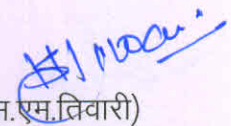

(एस.एम. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-17

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण)के निर्माण से प्रभावित व्यपवर्तित वन
भूमि क्षेत्र में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करेंगे।

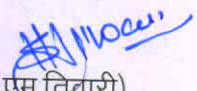

(एस.एम. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-18

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण के आस-पास के जीवों
तथा वनस्पति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।



(एस.एस. तिवारी)

कार्यपालन यंत्री

महान नहर संभाग सीधी

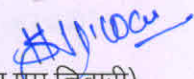
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-19

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान को मान्य है।

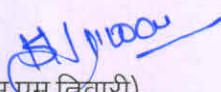

(एस.एम. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-20

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में विनिर्दिष्ट कार्य के
अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

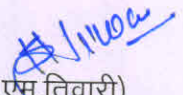

(एस.एम. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-21

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में व्यपवर्तित वन भूमि
किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति को केन्द्र सरकार की
पूर्व अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

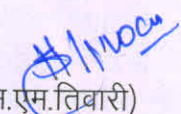

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-22

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों
के वैकल्पिक ईंधन (रसोई गैस) का भुगतान समय-समय पर किया जाता है।

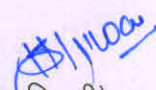

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-23

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान को मान्य है।

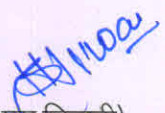

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-24

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान को मान्य है।

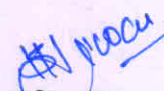

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-25

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में व्यपवर्तित वन भूमि का
शर्तों के अनुसार वास्तविक पालन प्रतिवेदन राज्य शासन एवं क्षेत्रीय कार्यालय को
नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।

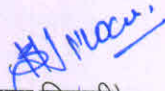

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-26

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में व्यपवर्तित वन भूमि का
शर्तों के अनुसार वास्तविक पालन प्रतिवेदन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के
कार्यालय को नियमित रूप से यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।

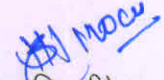

(एस.एम. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण)के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-27

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में ले-आउट प्लान में
केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

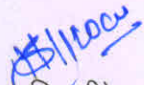

(एस.एम.खिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-28

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में तत्समय लागू समस्त
अधिनियम विनियमों दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

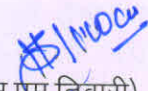

(एस.एम.जिंदारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-29

बचन-पत्र

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण में कोई अन्य शर्त जो
केन्द्र सरकार द्वारा वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास हेतु
समय-समय पर अधिरोपित की जाती है उसका पालन किया जायेगा।

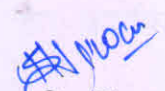

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-30

बचन-पत्र

आवेदक संस्थान द्वारा ई-पोर्टल में अपलोड करा दिया गया है।

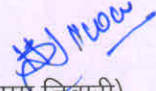

(एस.एम. तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति
अध्यारोपित शर्तों हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीबी 099/2021-बीएचओ/ दिनांक 25.02.2022

शर्त क्रमांक-4 B

बचन-पत्र

भारत सरकार/राज्य सरकार/ अपर प्रधान भू-प्रबंधक सतपुड़ा भवन भोपाल
द्वारा भविष्य में नेट प्रोजेक्ट वेल्यू की राशि एवं अन्य राशि के मांग हेतु कार्यपालन
यंत्री, महान नहर संभाग सीधी (म.प्र.) जमा करने बावत् वचन बद्ध है।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म0प्र0)

(Email ID : eemahancanaldivsidhi@gmail.com)

पत्र क्र. 1247 / कार्य / 2022
प्रति,

सीधी दिनांक 04/07/2022

**वनमण्डलाधिकारी सीधी
वनमण्डल सीधी
जिला-सीधी (म0प्र0)**

विषय:- जिला सीधी के अन्तर्गत महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना फेस-2 के निर्माण हेतु 2.8516 हे. वन भूमि महान नहर संभाग सीधी को उपयोग पर देने वावत्।

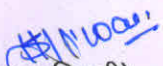
सन्दर्भ:- आपका पत्र क्र./मान.चि./5151 सीधी दिनांक 08.06.2022

विषयान्तर्गत जिला सीधी के अन्तर्गत महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना फेस-2 के निर्माण हेतु 2.8516 हे. वन भूमि महान नहर संभाग सीधी को उपयोग पर देने वावत् सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों पर की गई कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

शर्त क्र.	विवरण	कार्यवाही
A(1)	A(1) के पालन में प्रकरण तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार कुल राशि रु. 7392923/- भारत सरकार की वेबसाइट www.forestclearance.nic.in के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराई जावे तथा पुष्टिकरण हेतु राशि जमा होने के 72 घंटे पश्चात का बैंक स्टेटमेंट, यू.टी.आर.नम्बर दिनांक प्रस्तुत किया जावे।	A(1) के पालन में प्रकरण तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण वनीकरण की राशि रु. 73,92,923/- एडवाईज नं. 4103102009/062022-23/ई 0037 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा मध्यप्रदेश कैम्पा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोधी काम्पलेक्स ब्रांच नई दिल्ली में नेफ्ट/आरटीजीएस द्वारा राशि जमा करा दी गई है। (स्टेटमेंट संलग्न है)
A (4)	A(4) के पालन में प्रभावित 2.8516 हे. वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रु. 2731206/- भारत सरकार की वेबसाइट www.forestclearance.nic.in के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराई जावे तथा पुष्टिकरण हेतु राशि जमा होने के 72 घंटे पश्चात का बैंक स्टेटमेंट, यू.टी.आर.नम्बर दिनांक प्रस्तुत किया जावे।	A(4) के पालन में प्रभावित 2.8516 हे. वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रु. 27,31,206/- एडवाईज नं. 4103102009/062022-23/ई 0037 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा मध्यप्रदेश कैम्पा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोधी काम्पलेक्स ब्रांच नई दिल्ली में नेफ्ट/आरटीजीएस द्वारा राशि जमा करा दी गई है। (स्टेटमेंट संलग्न है)
A (6)	A(6) के अनुसार कैम्पा मद में ई-पोर्टल के माध्यम से समस्त राशियों का भुगतान ऑनलाइन राशि जमा किया जावे।	A(6) के अनुसार कैम्पा मद में ई-पोर्टल के माध्यम से समस्त राशियों का भुगतान ऑनलाइन राशि जमा किया गया है। (स्टेटमेंट संलग्न है)
A (7)	A(7) के पालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रस्तावित वनभूमि का एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।	जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रस्तावित वनभूमि का एफ.आर.ए.प्रमाण संलग्न है।
A (8)	A(8) में परियोजना की 534.218 हे. भूमि के सम्बन्ध में लगाई गई शर्तों का पालन भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत की जावे।	A(8) में परियोजना की 534.218 हे. भूमि के सम्बन्ध में लगाई गई शर्तों का पालन संलग्न है।
B (3)	B(3) के पालन के अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि देय सम्बन्धी निर्धारित वचन पत्र प्रेषित करें।	B(3) के पालन के अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि देय सम्बन्धी निर्धारित वचन पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों पर की गई कार्यवाही का विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।


(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियन्ता जल संसाधन विभाग भोपाल (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री महान परियोजना (गुलाब सागर) मण्डल सीधी (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

सहपत्र:- शून्य।

(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
महान नहर संभाग सीधी
जिला-सीधी (म०प्र०)